

प्रेषक,  
जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

सेवा में,  
रजिस्ट्रार,  
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  
प्रिन्सपल बेंच, फरीदकोट हाउस कापरनिकस मार्ग,  
नई दिल्ली-110001

[judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in)

पत्रांक/खनिज58(2024-25)

दिनांक 18 / 01 / 2025

विषय:—ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 959 / 2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित  
आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या 959 / 2024 लव मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि मेसर्स आर0बी0 इण्टर प्राइजेज के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र ग्राम उरौली का खनन पट्टा निरस्त हो जाने के उपरान्त खनिज विकास एवं राजस्व हित के दृष्टिगत शासनादेश सं0-781 / 86-2020-14(सा0) / 2020 दिनांक 23.05.2020 के अनुपालन में ग्राम उरौली क्षेत्र 03 बार 06 माह की अल्प अवधि हेतु विज्ञापित किया गया, परन्तु उक्त क्षेत्र में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई।

उक्त क्षेत्र को चौथी बार विज्ञापित सं0-1666 दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से विज्ञापित किया गया था, जिसे कार्यालय आदेश सं0-1693 / खनिज / अल्प अवधि निविदा / उरौली / 2024 दिनांक 27.12.2024 (संलग्नक-1) के माध्यम से विज्ञापित से पृथक कर लिया गया, जिसमें निविदा खोले जाने की कार्यवाही नहीं की गई, उसके उपरान्त से कोई निविदा प्रकाशित नहीं की गई।

उक्त आदेश के क्रम में जनपदीय टास्क फोर्स टीम के सदस्यों द्वारा ग्राम उरौली का निरीक्षण दिनांक 31.12.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन सम्बन्धी गतिविधियाँ नहीं पायी गयीं। उक्त क्षेत्र वर्तमान में रिक्त है। जनपदीय टास्क फोर्स टीम द्वारा उक्त क्षेत्र में सतत दृष्टि रखी जा रही है। (जाँच आख्या संलग्नक-2) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है।

उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।


संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

प्रतिलिपि:—श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सपल बेंच, फरीदकोट हाउस कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001 को कृत कार्यवाही के विवरण इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में नियत तिथि एवं समय पर मा0 अधिकरण में उपस्थित होकर राज्य सरकार की ओर से आवश्यक पैरवी करने का कष्ट करें।

  
जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

## आदेश

ओ०ए० सं०-९५९/२०२४ लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.12.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

1. Affidavit dated 12.12.2024 has been filed by UPPCB. In the affidavit it has been mentioned that pursuant to show cause notice dated 11.11.2024, UPPCB has by order dated 12.12.2024 imposed Environmental Compensation of Rs. 1,37,82,600/- requiring Respondent No.6-Project Proponent to deposit the same within 15 days.

2. Respondent No.6 has appeared through its counsel and learned counsel for Respondent No.6 seeks time to file its response.

3. Response by Respondent No.6 be filed at least one week before the next date of hearing fixed.

4. In the present case as per affidavit filed by the District Magistrate, Fatehpur lease has been cancelled by the District Magistrate, Fatehpur 2 vide order dated 11.07.2024 and as per response filed by UPPCB, CTO has been revoked by UPPCB vide order dated 21.10.2024 with the consequence that mine is not operational.

5. In report dated 29.10.2024 of the District Magistrate, Fatehpur, it has been mentioned that steps are being taken for grant of 6 month's permit in view of serious violations of environmental norms and 'Precautionary' principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010.


6. In view of the attendant facts and circumstances and applicability of precautionary principle as per mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 it is directed that no further mining lease permit either short term or long term be granted and no mining be allowed to be carried out in the land in question without permission of this Tribunal.

7. The District Magistrate, Fatehpur and the Superintendent of Police, Fatehpur are directed to take all requisite steps to prevent any further mining in the land in question.

8. List on 21.01.2025 for further hearing.

9. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Fatehpur and the Superintendent of Police, Fatehpur by email for requisite compliance.

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में विज्ञापित सं०-1666/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 19.12.2024 के क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र ग्राम उरौली को अग्रिम आदेशों तक विज्ञापित प्रक्रिया से पृथक किया जाता है।

  
जिलाधिकारी,  
फतेहपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, फतेहपुर  
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 1693/खनिज/अल्प अवधि निविदा/उरौली/2024  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 27/12/2024

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि पत्र सं०-1667/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 19.12.2024 के साथ संलग्न प्रेषित विज्ञापित सं०-1666/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 19.12.2024 के क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र ग्राम उरौली की निविदा सूचना को ओ०ए० सं०-९५९/२०२४ लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक विज्ञापित से पृथक करने की सूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्र मे कराये जाने हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक फतेहपुर।
4. श्री अंकित वर्मा, स्थायी अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिन्सपल बेंच, फरीदकोट हाउस कापरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी० फतेहपुर को इस निर्देश के साथ कि ई-निविदा पोर्टल पर उक्त सूचना को अपडेट कराना सुनिश्चित करें।
6. खान निरीक्षक/खान अधिकारी को अनुपालनार्थ।

  
जिलाधिकारी,  
फतेहपुर

संयुक्त जॉच आख्या

ओ०ए० सं०-959/2024 लव मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.12.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं :-

1. Affidavit dated 12.12.2024 has been filed by UPPCB. In the affidavit it has been mentioned that pursuant to show cause notice dated 11.11.2024, UPPCB has by order dated 12.12.2024 imposed Environmental Compensation of Rs. 1,37,82,600/- requiring Respondent No.6-Project Proponent to deposit the same within 15 days.

2. Respondent No.6 has appeared through its counsel and learned counsel for Respondent No.6 seeks time to file its response.

3. Response by Respondent No.6 be filed at least one week before the next date of hearing fixed.

4. In the present case as per affidavit filed by the District Magistrate, Fatehpur lease has been cancelled by the District Magistrate, Fatehpur 2 vide order dated 11.07.2024 and as per response filed by UPPCB, CTO has been revoked by UPPCB vide order dated 21.10.2024 with the consequence that mine is not operational.

5. In report dated 29.10.2024 of the District Magistrate, Fatehpur, it has been mentioned that steps are being taken for grant of 6 month's permit in view of serious violations of environmental norms and 'Precautionary' principle embodied in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010.

6. In view of the attendant facts and circumstances and applicability of precautionary principle as per mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 it is directed that no further mining lease permit either short term or long term be granted and no mining be allowed to be carried out in the land in question without permission of this Tribunal.

7. The District Magistrate, Fatehpur and the Superintendent of Police, Fatehpur are directed to take all requisite steps to prevent any further mining in the land in question.

8. List on 21.01.2025 for further hearing.

9. A copy of this order be forwarded to the District Magistrate, Fatehpur and the Superintendent of Police, Fatehpur by email for requisite compliance.


मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश सं०-1693/खनिज/अल्प अवधि निविदा/उरौली/2024 दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से उक्त क्षेत्र ग्राम उरौली को विज्ञप्ति सं०-1666/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025 दिनांक 19.12.2024 को विज्ञप्ति से पृथक करते हुये मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।


जिलाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद फतेहपुर के तहसील सदर स्थित ग्राम उरौली के रिक्त/उपलब्ध खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम उरौली की गाटा संख्या-64 से 69, 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 687, 471, 471 से 475 तक, 499, 500, 505 से 510 तक, 537 से 644 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 565, 586 कुल रकया 50.00 हे० का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय लेखपाल, नायब तहसीलदार, खान निरीक्षक, खान



(2)

अधिकारी फतेहपुर द्वारा दिनांक 31.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त रिक्त/उपलब्ध खनन पट्टा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई उपखनिज बालू/मोरम के खनन की गतिविधियाँ नहीं पायी गयी। जाँच के समय मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष ललौली को इस हेतु संज्ञानित कर दिया गया है कि उक्त क्षेत्र रिक्त है, इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से उपखनिज बालू/मोरम का खनन न होने पाये, इस पर सतत दृष्टि बनाये रखे, साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित टास्क फोर्स टीम द्वारा भी सतत दृष्टि रखी जा रही है।

उपरोक्तानुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

  
पुष्पेन्द्र सिंह (लेखपाल)  
क्षेत्रीय लेखपाल  
क्षेत्र  
तहसील सैली, फतेहपुर

  
नायब तहसीलदार  
फतेहपुर

  
खान निरीक्षक  
फतेहपुर  
  
खान अधिकारी,  
फतेहपुर।